

न्यायालय : शिवानी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
 (आप.प्रक.कमांक :- 69/2017)
 (संस्थित दिनांक :- 20/02/2017)

म.प्र. राज्य,
 द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ।
 जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

01. खेमराज जाटव पुत्र रामस्वरूप जाटव, उम्र 46 वर्ष।
 02. अरविन्द जाटव पुत्र खेर सिंह जाटव, उम्र 20 वर्ष।
 03. केशव सिंह जाटव पुत्र रामस्वरूप जाटव, उम्र 43 वर्ष।
- निवासीगण :- ग्राम मदनपुरा, थाना-मौ, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।
 अभियुक्तगण।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 16/04/2018 को घोषित)

01. अभियुक्तगण खेमराज, अरविन्द जाटव एवं केशव सिंह पर भा.द.सं. की धारा 294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग II के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक : 08/02/2017 को दोपहर लगभग 02:00 बजे, फरियादी नारायणीबाई के घर के पास स्थित ग्राम मदनपुरा, थाना-मौ में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी नारायणीबाई को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी नारायणी बाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी नारायणीबाई की घातक आयुध सरिया एवं लाठी से एवं सरोज की लात-घूसों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी नारायणीबाई को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर, आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 08/02/2017 को दोपहर लगभग 02:00 बजे, फरियादी नारायणीबाई के घर के पास स्थित ग्राम मदनपुरा थाना-मौ में, आरोपीगण खेमराज, अरविन्द जाटव एवं केशव सिंह द्वारा फरियादी नारायणी बाई से गाली-गलौच करने, उसकी घातक आयुध सरिया एवं डण्डा से एवं उसकी बहू सरोज की लात-घूसों से मारपीट कर करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी नारायणी बाई द्वारा उसी दिनांक को थाना मौ

में पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 24/2017 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। फरियादी नारायणीबाई, आहत सरोज, साक्षीगण हरी सिंह, रामसहाय एवं केदार सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्णकर आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण खेमराज, अरविन्द जाटव एवं केशव सिंह के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 324/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपीगण खेमराज, अरविन्द जाटव एवं केशव सिंह ने दिनांक :- 08/02/2017 को दोपहर लगभग 02:00 बजे, फरियादी नारायणीबाई के घर के पास स्थित ग्राम मदनपुरा, थाना-मौ में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी नारायणी बाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी नारायणीबाई की घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. फरियादी नारायणी बाई अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण अरविन्द, केशव एवं खेमराज को जानती है। आरोपीगण उसके पड़ोसी है। साक्षी आगे कहती है कि उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 16/04/2018 से लगभग एक साल पहले आरोपीगण से जमीनी विवाद पर से उसका मुँहवाद हो गया था, जिस पर उसके द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट की गई थी, जो प्र.पी.01 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नक्शा-मौका नहीं बनाया था, नक्शा-मौका प्र.पी.02 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी नारायणी बाई अ.सा.01 ने आरोपीगण खेमराज, अरविन्द जाटव एवं केशव सिंह द्वारा दिनांक :- 08/02/2017 को दोपहर लगभग 02:00 बजे उसके घर के पास स्थित ग्राम मदनपुरा, थाना-मौ में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर उसकी घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा

का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी नारायणी बाई अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं उसके पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के है।

07. घटना की कथित चक्षुदर्शी साक्षी/आहत सरोज बाई अ.सा.02 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपीगण खेमराज, अरविन्द जाटव एवं केशव सिंह द्वारा दिनांक :- 08/02/2017 को दोपहर लगभग 02:00 बजे उसके घर के पास स्थित ग्राम मदनपुरा, थाना-मौ में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर उसकी सास नारायणी की घातक आयुध सरिया से एवं उसकी लात-टूटों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

08. आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी नारायणी बाई अ.सा.01 एवं सरोज बाई अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

09. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपीगण खेमराज, अरविन्द जाटव एवं केशव सिंह ने दिनांक :- 08/02/2017 को दोपहर लगभग 02:00 बजे, फरियादी नारायणीबाई के घर के पास स्थित ग्राम मदनपुरा, थाना-मौ में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी नारायणी बाई की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी नारायणीबाई की घातक आयुध सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

10. अभियोजन आरोपीगण खेमराज, अरविन्द जाटव एवं केशव सिंह के विरुद्ध धारा 324/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 324/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

11. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(शिवानी शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(शिवानी शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद